प्रकीर्ण वाद संख्या ५२०/२०१८ (एम.ए.सी.पी.सं.५७४/२००५)
श्रीमती रेखा आदि बनाम उजैर अहमद आदि
२८.०१.२०२१

३बी प्रार्थनापत्र पर प्रार्थिया श्रीमती रेखा द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका में याचिया के पुत्र यशकान्त के नाम उसकी संरक्षकता में न्यायाधिकरण द्वारा ₹५०,००० की एफ.डी.आर. वयस्क होने तक के लिए बनाये जाने का आदेश पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी को दिया था, जिसके अनुपालन में एफ.डी.आर. बनाई गयी थी। प्रार्थिया के पुत्र यशकान्त की मृत्यु दिनाँक २७.०६.२०१७ को हो गई। प्रार्थिया मृतक की माँ एवं गार्जियन है। मुकदमें के निर्णय के ३ साल बाद परिवार के लोगों ने देवर नरेश से प्रार्थिया की शादी करा दी थी। प्रार्थिया के पहले पति का नाम रामदास था। यश के पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट में यश शब्द उसके पुत्र का लिखा है और पुत्र की वल्दियत में दूसरे पति का नाम नरेश लिखा है। प्रार्थिया ने प्रार्थना की है, कि प्रकरण में जमाशुदा एफ.डी.आर.की धनराशि प्रार्थिया के नाम रिलीज किये जाने की कृपा की जाय। प्रार्थिया ने अपने कथनों के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र ४सी, सूची ५सी१ से न्यायाधिकरण के निर्णय की सत्यप्रतिलिपि की छाया प्रति ६सी१, पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट की छाया प्रति ७सी१,मृतक यश के मृत्यु प्रमाणपत्र की छाया प्रति ८सी१ व जमा पुष्टि की छाया प्रति ९सी१, फेहरिस्त ११सी१ से १२सी१ परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, फेहरिस्त १४सी१ से मृतक यश का असल मृत्यु प्रमाणपत्र १५सी१ व प्रार्थिया के बैंक खाते की पास बुक की छाया प्रति, नाथूराम का शपथपत्र १६बी१ एवं श्रीमती भगवती का शपथपत्र १९सी२ दाखिल किये गये हैं।

पूर्व नियत तिथि पर प्रार्थिया न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद व एम.ए.सी.पी.सं. ५७४/ २००५ श्रीमती रेखा आदि बनाम उजैर अहमद की पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। मूल पत्रावली के अवलोकन से विदित होता कि प्रस्तुत याचिका में एम.ए.सी.टी./जिला न्यायाधीश, झाँसी द्वारा दिनाँक २६.०३.२०११ को ₹१,७६,६०० मय ब्याज हेतु एवार्ड पारित किया गया है। प्रतिकर धनराशि में से याची सं. ७ यशकान्त को ₹५०,००० प्राप्त होनी थी, जो धनराशि उसके नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में उसके वयस्क होने तक के लिए जरिए संरक्षिका/मां श्रीमती रेखा याची सं.१ जमा की जानी थी। प्रार्थिया का कथन है कि न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में ₹५०,००० की एफ.डी.आर./जमा पुष्टि बनाई गयी है, जिसकी छाया प्रति ९सी१ प्रार्थिया द्वारा पत्रावली पर दाखिल की गई है। उक्त जमा पुष्टि के अवलोकन से विदित होता है कि पी.एन.बी. झोकनबाग, झाँसी द्वारा न्यायाधिकरण के आदेशानुसार यशकान्त के नाम जमा पुष्टि ₹५०,००० की दिनाँक २६.०९.२०१२ को जारी की गई है, जिसकी परिपक्वता तिथि २६.०९.२०२२ है। प्रार्थिया की ओर से पत्रावली पर दाखिल यश की पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट की छाया प्रति ७सी१ व असल मृत्यु प्रमाणपत्र १५सी१ के अवलोकन से स्पष्ट है कि यश की मृत्यु दिनाँक २७.०६.२०१७ को हो गई है। प्रार्थिया श्रीमती रेखा द्वारा अपने शपथपत्र में प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा १६बी शपथपत्र नाथूराम व १९सी२ शपथपत्र श्रीमती भगवती भी पत्रावली पर दाखिल किये गये हैं, जिनमें उन्होंने यह कथन किये हैं कि वे मृतक रामदास के पिता व माँ है। रामदास के लड़के का नाम बचपन में यशकान्त था फिर उसे यश एवं यश कुशवाहा के नाम से जाना जाता है तीनों नाम यशकान्त है। कोई भिन्नता नहीं है। उसने अपनी बहू रेखा का विवाह अपने लड़के नरेश से मुकदमा निस्तारण के तीन साल बाद कर दिया था। यशकान्त उर्फ यश स्व. रामदास का एक मात्र पुत्र है। यश की मृत्यु हो गई है। एफ.डी.आर. का पैसा उसकी बहू को दे दिया जाय, उसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। नाथूराम ने अपने शपथपत्र में यह भी कथन किया है कि यश के कानूनी वारिसान में उसकी माँ रेखा और मैं व मेरी पत्नी भगवती है। पत्रावली पर उपलब्ध उक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में याची सं.७ यशकान्त की मृत्यु हो गई है तथा मृतक यशकान्त का नाम यश भी है तथा दुर्घटना में मृतक रामदास की मृत्यु हो जाने पर प्रार्थिया का विवाह उसके देवर नरेश से हो गया है। मृतक रामदास के माता-पिता द्वारा अपने शपथपत्र दाखिल कर प्रार्थिया को जमा पुष्टि की सम्पूर्ण धनराशि दिलाये जाने में कोई आपत्ति नहीं की है। किसी अन्य पक्ष द्वारा कोई आपत्ति दाखिल नहीं की है। प्रार्थिया द्वारा अपने बैंक खाते की पास बुक की छाया प्रति दाखिल की है। अतः मेरे विचार से प्रार्थिया का प्रार्थनापत्र ३बी स्वीकार किये

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.01.28 21:14:12 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI

जाने योग्य है। तदनुसार प्रकरण में मृतक यशकान्त उर्फ यश के नाम जमा पुष्टि को समाप्त कर उसकी सम्पूर्ण धनराशि प्रार्थिया श्रीमती रेखा जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

आदेश

प्रार्थिया का ३बी प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। तदनुसार पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी.सं. ५७४/२००५ (प्रकीर्ण वाद सं. ५२०/२०१८ श्रीमती रेखा आदि आदि बनाम उजैर अहमद आदि) के प्रकरण में मृतक यशकान्त उर्फ यश के नाम जमा पुष्टि ग्राहक आई डी सं.एफ.एल.ई.०१२४७३ खाता सं. ३६७१००डीपी०००००८९७९ को समाप्त कर, जमा क्षतिपूर्ति धनराशि ₹५०,००० मय अर्जित ब्याज को प्रार्थिया को निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर दें:-

Applicant/ Petitioner	Amount in Rs.	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursment	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
Smt. Rekha	50000	100	Elect.Mode RTGS/NEFT	3671000101093744	PNB Branch Jokhanbag Jhansi	PUNB0367100
Total	50000	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।